राजस्थान सरकार

राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी,

## निदेशालय बाल अधिकारिता विभाग,

20/198, सैक्टर नम्बर–2, कावेरी पथ, मानसरोवर, जयपुर (राज.)

क्रमांक :एफ.5(1)( )निबाअ/आईसीपीएस/लेखा/वित्तीय प्रस्ताव /16–17/41028 दिनांक: 15/2/16

## प्रेस विज्ञप्ति

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 एवं संशोधित अधिनियम, 2006 की धारा 34 एवं 37 में पंजीकृत गैर सरकारी संस्थाओ द्वारा संचालित बालगृह, बालिकागृह, शिशुगृह एवं आश्रय गृहो के लिए अनुदान हेतु वर्ष 2016–17 के लिए वित्तीय प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवाने है, अतः अनुदान प्राप्त करने की इच्छुक संस्थाऐं दिनांक 15 मार्च, 2016 तक अपने वित्तीय प्रस्ताव तैयार कर निदेशालय बाल अधिकारिता विभाग, 20/198, सैक्टर नम्बर–2, कावेरी पथ, मानसरोवर, जयपुर, राज. को प्रस्तुत करे । उक्त तिथि के बाद प्राप्त प्रस्तावों पर विभाग द्वारा विचार नही किया जावेगा। किसी भी गैर सरकारी संस्था के वित्तीय प्रस्तावों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने की पूर्ण शक्तियां विभाग के पास रहेगी। वित्तीय प्रस्तावों के आवेदन निम्नांकित सूचनाऐं के साथ भिजवाया जाना सुनिश्चित करें :–

1. जिला अधिकारी एवं जिला बाल कल्याण समिति की अभिशंषा रिपोर्ट ।
2. मूल रजिस्ट्रेशन एवं नवीनीकरण की प्रति।
3. संघ विधान में उद्देश्य की प्रति।
4. गत तीन वर्षो का वार्षिक प्रतिवेदन एवम् लेखों की सनदी लेखाकार की ऑडिट रिर्पोट।
5. भवन स्वयं का होने पर भवन का नक्शा एवं मालिकाना हक तथा किराऐं का होने पर किरायानामा के दस्तावेजों की प्रतियां ।
6. नवीनतम कार्यकारिणी की प्रमाणित सूची।
7. संस्था में रह रहे बालक/बालिकाओं की 01 जनवरी, 2015 से 31 जनवरी, 2016 तक माहवार नाम सहित सूची।
8. संस्था में कार्यरत कर्मचारियों की 01 जनवरी, 2015 से 31, जनवरी, 2016 तक पहचान पत्र एंव पदनाम सहित माहवार सूची।

आवेदन पत्र के साथ वांछित सूचनाऐं विभागीय वेबसाईट www.dcr.rajasthan.gov.in से प्राप्त किये जा सकते है एवं वित्तीय प्रस्ताव संबंधित जिला अधिकारी एवं जिला बाल कल्याण समिति की अभिशंषा रिपोर्ट के साथ निदेशालय में जमा करायें।

15.2.16

निदेशक एंव संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :एफ.5(1)(  )निबाअ/आईसीपीएस/लेखा/वित्तीय प्रस्ताव /16–17/41029-41107 दिनांक: 15/2/16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :–

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राज. जयपुर।
3. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, शासन सचिवालय जयपुर राज. को कम से कम दो राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु ।
4. जिला कलक्टर एंव अध्यक्ष जिला बाल संरक्षण इकाई .....।
5. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राज. जयपुर को उक्त विज्ञप्ति विभागीय वैबसाईट पर प्रदर्शनार्थ ।
6. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, बाल अधिकारिता विभाग राज. जयपुर को उक्त विज्ञप्ति विभागीय वैबसाईट पर प्रदर्शनार्थ ।
7. उप निदेशक/सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई..... को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित तिथि तक प्राप्त प्रस्तावों को अपनी अभिशंषा के साथ दिनांक 15.3.2016 तक भिजवाना सुनिश्चित करें।
8. लेखाधिकारी,आईसीपीएस प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण कर प्रस्तावों के अनुदान हेतु पी.ए.सी. के समक्ष प्रस्तुत करे।
9. रक्षित पत्रावली।

15.2.16

निदेशक एंव संयुक्त शासन सचिव